



कार्यालय: डा०भीमराव रामजी आंबेडकर, राजकीय
चिकित्सा महाविद्यालय, कन्नौज, उ०प्र०-209732

Email Id: - kannaujmedicalcollege@gmail.com

Letter.No:- EC-01/2025/

Date: 04/07/2025

विज्ञप्ति / सूचना

संविदा के आधार पर आचार्य, सह-आचार्य एवं सहायक आचार्य के रिक्त पदों पर सेवायोजन हेतु इस चिकित्सा महाविद्यालय की वेबसाइट पर प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या-ई०सी०-1/2025/6301 दिनांक 21.06.2025 के माध्यम से विभिन्न विशिष्टताओं में रिक्त आचार्य, सह-आचार्य तथा सहायक आचार्य के रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर भरे जाने हेतु साक्षात्कार (Walk in Interview) माह जुलाई-2025 से पद भरे जाने तक प्रत्येक माह के समस्त सोमवार को प्रधानाचार्य कार्यालय में सम्पन्न होगा (उक्त दिवस पर अवकाश होने के कम में अगले दिवस में)। इच्छुक अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वह साक्षात्कार के दिवस प्रातः 11 बजे से सायं 02 बजे के मध्य Medical Council of India, Minimum Qualification for teachers as per Medical Institutions regulations, 1998 के मानकों के अनुसार अपने समस्त मूल प्रमाण पत्रों शैक्षिक/अनुभव प्रमाण-पत्रों/शोध पत्रों/आधार कार्ड एवं जाति प्रमाण पत्र की (स्व-प्रमाणित) छायाप्रतियों के 2 सेट बायोडाटा सहित साक्षात्कार स्थल पर उपस्थित होंगे। इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन इस महाविद्यालय की वेबसाइट www.govtmckannauj.in पर उपलब्ध आवेदन पत्र के प्रारूप पर पूर्ण कर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में किसी भी कार्य दिवसों में प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक जमा कर सकते हैं। विभिन्न विशिष्टताओं में आरक्षणवार रिक्त पदों की स्थिति निम्नवत् है:-

क्र० सं०	विशिष्टता का नाम	रिक्त पद पदवार								
		आचार्य			सह आचार्य			सहायक आचार्य		
		S.C	GEN	OBC	S.C	GEN	OBC	S.C	GEN	OBC
1	Orthopaedics	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Ophthalmology	1 EWS	0	0	1	0	0	0	0	0
3	Obstetrics & Gynaecology	0	0	0	0	0	1	0	0	1*
4	Emergency Medicine	0	0	1	1	0	0	1(ST)	0	0
5	Anatomy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Anaesthesiology	1	0	0	0	1	0	0	1EWS	1
7	Oto- Rhino laryngology	0	0	0	0	0	1	0	0	0
8	Community Medicine	0	0	0	0	1	0	1*	0	0
9	General Medicine	0	1	0	1	1+1EWS	0	2	0	1
10	General Surgery	0	0	0	0	2	1	0	0	0
11	Tuberculosis & Respiratory	1	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Dermatology, Venereology and Leprosy	0	0	1	0	0	0	0	0	0
13	Dentistry	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Paediatrics	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Pathology	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Blood Bank	0	0	1	0	0	0	0	1EWS	0
16	Pharmacology	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Physical Medicine & Rehabilitation	0	1EWS	0	0	0	0	0	1	0
18	Physiology	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Forensic Medicine	1	0	0	0	1	0	0	0	0
20	Biochemistry	1	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Microbiology	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Radio- Diagnosis	0	0	1	1	0	0	0	0	1
23	Radiotherapy	0	0	0	0	0	0	1	1*	0
24	Psychiatry	0	0	0	0	0	0	0	1EWS	0
		5+1 EWS	1+1 EWS	4	4	06+1 EWS	3	05	01+4 EWS	4

नोट:- पदों की संख्या घट बढ़ सकती है।

स्टार चिह्नित कम संख्या-3 पर स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग में एम०डब्ल्यू०ओ० का तथा कम संख्या-7 पर कम्युनिटी मेडिसिन विभाग में स्टेडीशियन कम सहायक आचार्य का तथा व कम सं० 22 पर फिजिसिस्ट कम सहा०आचार्य का पद है।

कमशः

उक्त पदों पर नियमानुसार आरक्षण लागू होगा। संविदा पर नियुक्ति की शर्तों निम्नवत् हैं:-

1. संविदा पर नियुक्ति किये जाने वाले आचार्यों का नियत वेतन रु0 2,20,000/- सह-आचार्यों का वेतन रु0 1,60,000/- तथा सहायक आचार्य का नियत वेतन 1,20,000/-प्रति माह देय होगा (मेडिकल कालेज से सेवानिवृत्त आचार्य को शासनादेश संख्या-250/2018/4067/71-1-2017-जी-63/2008 द्वारा निर्गत शर्तों के अनुसार वेतन प्रदान किया जाएगा)। इस हेतु आवेदक को Medical Council of India, Minimum, Qualification for teachers in Medical Institutions Regulations, 1998 (Amended Upto 8th June, 2017) के नवीनतम मानकों अनुसार निर्धारित शैक्षिक अर्हतायें एवं अनुभव पूर्ण करना आवश्यक है।
2. चिकित्सा शिक्षकों/संकाय सदस्यों के पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति शासनादेश सं0-562/71-1-2020-जी-63/2008 दिनांक 10.06.2020 एवं शासनादेश सं0-148/71-1-24/71-1001/804/2020 दिनांक 14 जून, 2024 के द्वारा की गयी व्यवस्था के अनुसार अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप पर आवेदन कर सकते हैं।
3. ओपीओडीओ के दिन प्राईवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे।
4. प्राईवेट प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सा शिक्षकों को प्राईवेट प्रैक्टिस करने का स्थान निर्दिष्ट करना होगा।
5. कोई भी चिकित्सा शिक्षक मरीजों को प्राईवेट में देखने के लिये बाध्य नहीं करेगा।
6. प्राईवेट प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सा शिक्षकों को मेडिकल कालेज में आकस्मिक/आपदा सेवाओं के लिये हमेशा उपलब्ध रहना होगा।
7. उक्त नियत वेतन के अतिरिक्त संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों को अन्य किसी प्रकार के वेतन/भत्ते एवं सेवागत लाभ अनुमन्य नहीं होंगे।
8. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की सेवायें लोक सेवा आयोग से सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित चिकित्सा शिक्षकों के उपलब्ध होने पर तत्काल समाप्त हो जाएगी एवं सेवा संतोषजनक न पाये जाने पर एक माह की नोटिस देकर भी समाप्त की जा सकती है।
9. चिकित्सा शिक्षकों/संकाय सदस्यों का संविदा कार्यकाल एक वर्ष का होगा। एक वर्ष की संतोषजनक सेवा के पश्चात लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी/नियमित चिकित्सा शिक्षक उपलब्ध होने पर आवश्यकतानुसार इनकी संतोषजनक सेवा के आधार पर सेवाकाल पुनः बढ़ाया जा सकेगा।
10. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों के लिये आवश्यक होगा कि वह करार के 15 दिवस के भीतर सम्बंधित मेडिकल कालेज में अपना कार्यभार ग्रहण कर लें। उक्त कालावधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में संविदा नियुक्ति स्वतः रद्द मानी जायेगी।
11. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षक संविदा कालावधि के लिये किसी भी प्रकार के पेंशन सम्बंधी सुविधाओं का हकदार नहीं होगा। उसे ऐसे कालावधि के लिये बोनस देय नहीं होगा।
12. चिकित्सा शिक्षक शासकीय सेवा में विनियमितीकरण के लिये हकदार नहीं होगा।
13. संविदा आधारित नियुक्ति किसी भी एक पक्ष और किसी भी समय एक माह की सूचना या एक माह का संविदा वेतन भुगतान करके समाप्त की जा सकती है।
14. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की अन्य सेवा शर्त ऐसी होगी जैसे करार या अनुबन्ध पत्र में विनिर्दिष्ट की जाये। संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षक द्वारा अनुबन्ध या करार में इस तथ्य का उल्लेख किया जायेगा कि वह भविष्य में अपने कार्य एवं कार्यकाल के आधार पर अपने विनियमितीकरण अथवा स्थायीकरण का दावा नहीं करेंगे और न ही उन्हें निर्धारित नियत वेतन के अतिरिक्त कोई अन्य सुविधा अनुमन्य होगी।
15. साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी इस आशय का घोषणा/शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगे कि उनके विरुद्ध मा0 न्यायालय में कोई अपराधिक वाद प्रचलित नहीं है और यदि उनके विरुद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें समाप्त कर दी जायेगी।
16. उक्त संविदा पदों पर चयन की प्रक्रिया प्रधानाचार्य की संस्तुति के आधार पर शासन/महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के माध्यम से की जानी है। अन्तिम चयन की प्रक्रिया शासन/महानिदेशालय में ही निहित होगी।
17. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों का स्थानान्तरण नहीं किया जायेगा।
18. समय-समय पर सरकार द्वारा चयन के विषयों में जारी नियमावली/शासनादेशों का अनुपालन चयन प्रक्रिया में निहित होगा।

नोट- साक्षात्कार में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

प्रधानाचार्य

डा0बी0रा0आं0राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, कन्नौज

संख्या- ई0सी0-1/2025/6957-62 तददिनांक।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1-प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
- 2-महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की उक्त विज्ञप्ति को महानिदेशालय की वेबसाईट पर अपलोड कराने की कृपा करें।
- 3-प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, कानपुर/मेरठ/आगरा/झांसी/गोरखपुर/इलाहाबाद/अम्बेडकरनगर/बौदा/जालौन/आजमगढ़/सहारनपुर/बदायूं।
- 4-प्रभारी अधिकारी, वेब साईट, डा0बी0रा0आं0राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, कन्नौज, को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को कालेज की वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
- 5-संयोजक, चयन समिति, संविदा चिकित्सा शिक्षक, डा0बी0रा0आं0राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, कन्नौज।
- 6-डा0बी0रा0आं0राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, कन्नौज के नोटिस बोर्ड/सूचना पट्ट पर चस्पा करने हेतु।

प्रधानाचार्य

डा0बी0रा0आं0राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, कन्नौज